

युवा समारोहों में लोकसंगीत का बढ़ता प्रभाव

डॉ. स्वरित शर्मा

सहायक प्रोफेसर, संगीत विभाग, आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद मारकण्डा, कुरुक्षेत्र।

E-mail: swarit1983@gmail.com

सारांश :

यह सत्य एवं सर्वविदित है कि भारतीय संगीत आरम्भ से ही दो धाराओं में प्रवाहित होता रहा है। एक तो वह जिसका अधिकतर प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था और दूसरा वह जिसका अधिकतर प्रयोग लौकिक समारोहों पर किया जाता था और इन समारोहों का प्रयोजन केवल लोगों का मनोरंजन करना होता था। इस तरह पहली धारा 'मार्ग' कहलाई तथा दूसरी 'देशी'/'मार्ग' तथा 'देशी' इन दोनों का मूलाधार जनसंगीत था, अन्तर केवल इतना था कि पहली धारा को संस्कार प्राप्त होने के कारण उसे उच्च श्रेणी तथा शास्त्रीय संगीत में स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा सामान्य जनता की रुचि के अनुकूल होने के कारण उनमें लोकप्रिय हुआ। इस प्रकार देशी संगीत ही लोकसंगीत कहलाया। लोकसंगीत इस समाज एवं संस्कृति का दर्पण होने के साथ-साथ प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। मानव ने जब दिन के सभी कार्यों को करते हुए कुछ गुनगुनाया, बजाया एवं अपनी खुशी को व्यक्त किया तो वह 'लोकसंगीत' कहलाया। क्योंकि यह संगीत लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। लोकसंगीत के द्वारा मानव अपनी वाणी को स्वर प्रदान करके दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों को समझता है।

“लोकसंगीत पूर्णतः लौकिक आनंद की प्राप्ति का साधन माना गया है। लोकसंगीत की परंपरा अपने स्वच्छंद रूप में सम्भवतः इस धरती पर मानव के अस्तित्व के साथ ही प्रवाहित हुई है। स्वच्छंद रूप में विहार करने वाली तथा जनमानस के मुख से स्वतः विस्तृत होने वाली स्वर लहरियों में आबद्ध रचना लोकसंगीत है”। शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोकसंगीत नियमों में बंधा हुआ नहीं है अपितु यह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है तथा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लोकसंगीत में सादगी, सरलता और मधुरता पाई जाती है। हम यह कह सकते हैं कि लोकसंगीत, लोकसंस्कृति का दर्पण है। लोकसंगीत के कोमल भावों में जब संगीत की मधुरता घुल जाती है तो लोकसंगीत का सुन्दर एवं मिठास भरा स्वरूप सामने आता है। लोकसंगीत में जिन धुनों का प्रयोग होता है वे किसी समूह विशेष की अपनी होती है, अतः उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उन धुनों का

स्वाभाविक ही प्रभाव रहता है। इसलिए ये धुनें समूह के हर व्यक्ति के लिए परिचित होती हैं। लय लोकसंगीत का एक अविभाज्य अंग होने के कारण उसका संरक्षण एवं संवर्द्धन लोकसंगीत की सभी धाराओं में आदिकाल से विद्यमान है। अधिकांश लोकसंगीत में मध्य एवं द्रुत लयों का प्रयोग होता है। विलम्बित लय का प्रायः अभाव है।

लोकसंगीत का अर्थ :- लोकसंगीत शब्द लोक तथा गीत दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है 'लोक के गीत' या 'प्रचलित गीत'। लोक शब्द वास्तव में नगर तथा ग्राम की समस्त साधारण जनता का द्योतक है। इसी प्रकार गीत शब्द का अर्थ उस कृति से लिया जाता है जो गयात्मक हो। लोकसंगीत में गेयता का होना अनिवार्य है। स्वर व लय इसके प्राणतत्व हैं। ग्राम्य जनजीवन या सामान्य जनमानस के दैनिक जीवन के व्यवहार में जिस संगीत का स्वाभाविक

रूप से समावेश हो, परम्पराओं, भावनाओं को समझें और मन को आनन्दित करे, वह लोकसंगीत है।

लोकसंगीत की विषयवस्तु में दैनिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए छोटे-छोटे काव्य होते हैं। लोकसंगीत का अपने स्थान के वातावरण से, स्थानीय लोगों के अन्तर्मन से तथा स्थानीय विषय वस्तु से जुड़े होने के कारण उसमें कोई गुंजाईश नहीं कि कोई बाहरी चीज़ लाकर लोकसंगीत में मिलाई जा सके।

लोकसंगीत की विशेषताएँ :-

लोक संगीत आज भी सामूहिक रूप में अपने-अपने चौपालों, खेत-खलिहानों और गली-गलियारों में विद्यमान है। इसमें कई विशेषताएँ हैं:-

1. लोकसंगीत में लोकमानस के भावों की अभिव्यक्ति सरल तथा सहज होती है, इसमें कृत्रिमता नहीं होती।
- लोकसंगीत में प्रदेश-विशेष की भाषाओं का प्रयोग होता है।
- इसकी रचनाएँ व्यक्तिगत नहीं होतीं।
- लोकसंगीत में किसी विशेष स्वर को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि स्वरों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।
- बालक-बालिकाओं के गीत लय प्रधान तथा पुरुष महिलाओं के गीत स्वर प्रधान होते हैं।
- धुन यद्यपि विभिन्न सप्तकों में गाई जाती है, परन्तु अधिकतर किसी एक विशेष स्वर समूह पर घूमती रहती है।
- लोकसंगीत में साधारणतः दैनिक जीवन के कार्य और भाव निहित होते हैं जैसे :- प्रेम और वेदना, पर्व और मेले, शादी ब्याह, फसल कटाई और बुआई आदि।
- कथा गीत एवं ऐतिहासिक गीत पुरुष ही गाते हैं, ओत्सविक तथा सामाजिक लोकगीतों में प्रमुख रूप से भागीदारी महिलाओं की रहती है।

लोकसंगीत के उत्थान के प्रयास :-

बदलती परिस्थितियों के कारण आजकल हर चीज़ का शहरीकरण होता जा रहा है। गाँव और ग्राम्य संस्कृति का महत्व कुछ धुंधला सा होता जा रहा है। मानव पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। उसे कहां फुरसत है कि वह पर्वों अनुसार गीत गाये जैसे होली के दिनों में होली के गीत, सावन में सावन के गीत इत्यादि गाये। उसे तो शायद यह पता ही नहीं है कि होली के दिनों में होली के गीत भी गाये जाते हैं। समाज पर पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ रहा है। लड़कियाँ और स्त्रियाँ घरों में विवाह के अवसर पर फिल्मी संगीत का आनंद उठाती हैं। रात-रात भर सुहाग एवं घोड़ियाँ गाने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। परिणाम स्वरूप विवाह में भी लोकगीतों का महत्व कम होता जा रहा है।

कला अपने आप में कुछ होती है और लोग उस स्तर या ऊंचाई तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, परन्तु प्रचार-प्रसार करते समय अधिकाधिक लोगों में उस कला के लिए कोई स्थान बन पाए, इसलिए आम जनता की रुचि के अनुसार उस कला को ढालना पड़ता है तभी उस कला का प्रसार हो सकता है। इस धूमिल होते लोकसंगीत की छवि को निखारने के लिए देश भर में कई समारोह होते हैं। रेडियो तथा टी. वी. चैनलों पर प्रादेशिक कार्यक्रम समय-समय पर होते ही रहते हैं।

युवा समारोहों में लोकसंगीत:-

लोकसंगीत को बढ़ावा देने में युवा-समारोहों ने विशेष योगदान दिया है। युवा-समारोहों में सभी कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। युवा समारोहों द्वारा हमारे प्राचीन लोकवाद्य जो लुप्त हो रहे थे, उन्हें भी समारोह के माध्यम से मंच पर युवाओं द्वारा सामने लाया गया है। ये वाद्य गांवों एवं कस्बों में लोगों द्वारा जीविकापार्जन के लिए बजाए जाते थे, केवल दलित वर्ग द्वारा इनका प्रयोग होता था। ऊंचे वर्ग के लोग इन्हें हाथ में पकड़ना अपना अपमान समझते थे, लेकिन आजकल लोकवाद्यों

के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं। मंच पर उनकी प्रस्तुति होने लगी है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रदेश की लोकधुनों का प्रचार-प्रसार हुआ। यह बड़ी उपलब्धि हमें युवा समारोहों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।

विभिन्न प्रांतों के लोकसंगीत की झलक युवा समारोहों में :-

युवा समारोहों में हमें विभिन्न प्रांतों का लोकसंगीत सुनने को मिलता है। पंजाब के लोकसंगीत में विद्यार्थी संस्कार के गीत, ऋतुओं तथा त्योहारों के गीत, वीर भावना के गीत आदि गाते हैं। संस्कारों के गीतों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों के गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म पर पंजाब में वधावे, सोहिलड़े की ध्वनियाँ गूँज उठती हैं। इन सभी तरह के गीतों की गूँज युवा-समारोहों में होती है। इसी प्रकार हरियाणा के लोकगीतों में फागुन के गीत, भक्ति गीत, सावन के गीत, सांस्कृतिक गीत आदि गाए जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी अलग-अलग लोक विधाओं की प्रस्तुति मंच पर देते हैं।

युवा समारोहों में लोक विधाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का अपना विशेष महत्त्व है। युवा-समारोह में संगीत के 20 कार्यक्रमों में से लगभग 9 कार्यक्रम लोकसंगीत के होते हैं जिनमें लोकगीत, लोकनृत्य आदि सभी कार्यक्रम एवं उनके प्रकार सम्मिलित हैं। इन उत्सवों में क्षेत्रीय लोकसंगीत के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लोकसंगीत की प्रस्तुतियों को भी अवसर प्रदान किया जाता है। पहले क्षेत्रीय स्तर पर फिर राज्य स्तर पर भी और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी अपनी कला को प्रस्तुत करता है। इन प्रतियोगिताओं से जहाँ एक ओर विभिन्न लोकगीतों का परिचय प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर लोक-परम्पराओं का प्रचार-प्रसार भी अनायास होता है क्योंकि जब तक संस्कृति से सम्बन्धित कार्यक्रम इन समारोहों के माध्यम से उभर कर सामने नहीं आयेंगे तो युवाओं को अपनी संस्कृति को जानने का अच्छी तरह अवसर नहीं मिल पायेगा। गांवों में पढ़ने वाले विद्यार्थी

तो अपनी लोक विधाओं तथा संस्कृति को जानते हैं परन्तु शहरों के विद्यार्थी पाश्चात्य संस्कृति की ओर अधिक आकर्षित हैं। उनको अपनी संस्कृति के समीप लाने के लिए भी इन समारोहों में लोकसंगीत को विशेष स्थान दिया जाता है। जो विद्यार्थी समारोह में लोक कार्यक्रमों में प्रतिभागी होते हैं वे लोकविधाओं की छोटी बड़ी बातों को जानते हैं, इनके साथ-साथ श्रोता भी इन्हें देख-सुन कर इन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से विद्यार्थी वर्ग अपने प्रदेश की भाषा तथा वेशभूषा से भी अवगत होते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वे भाषा की बारिकियों को समझ सकते हैं। इस प्रकार युवा वर्ग अपने प्रदेश के विषय में नहीं, अपितु अन्य प्रदेशों के विषय में भी जानता है। अन्य प्रदेशों की लोकविधाएं मंच पर प्रस्तुत होती हैं तो संस्कृति के आदान प्रदान के साथ-साथ उसका प्रचार-प्रसार भी होता है। विद्यार्थियों द्वारा मंच पर प्रस्तुति देने से लोकविधाओं की लोकधुनों से जो वातावरण निर्मित होता है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। लुप्त हो रही वादन शैलियाँ तथा धुनें जो अब कम सुनी जाती हैं, उनका भी संरक्षण होता है। युवा समारोह के मंच पर लोकगीत का अलग ही स्वरूप हमारे समक्ष आता है। लोकसंगीत बहुत साधारण और सरल अवस्था में होता है परन्तु मंच पर इसके स्वरूप में अनेक तरह के परिवर्तन किये जाते हैं। लोकगीत जो घरों के आंगन में गाये जाते हैं वह अपनी प्राकृत अवस्था में होते हैं। इसमें किसी वाद्य का होना भी आवश्यक नहीं समझा जाता, केवल लय में बंधकर ही गाया जाता है, परन्तु जब वही गीत मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें बहुत परिवर्तन होता है। गाते समय ताल के लिए ढोलक, तबले आदि तथा इसके साथ-साथ स्वर वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता है। लोकगीतों के बारे में यह कहा जा सकता है कि लोकगीतों को तो कलाकारों द्वारा गावों के मेलों तथा त्योहारों पर ही गाया जाता था। लोकगीत गाने का अवसर युवाओं को मिला है केवल युवा समारोह के

माध्यम से। युवा समारोह में लोकगीत युवाओं द्वारा प्रस्तुत होने लगे, जिससे इन गीतों को अधिक प्रकाश में लाया गया, साथ ही साथ हमारे युवा वर्ग को भी इसका ज्ञान हुआ। आज का युवा वर्ग जो कि अपनी संस्कृति से अपने देश एवं अपने प्रदेश से अलग होता जा रहा है, युवा समारोह के माध्यम से उसने अपने देश एवं अपने प्रदेश के साथ-साथ अलग-अलग प्रदेशों की भी लोक संस्कृति को जाना है। मंच पर प्रस्तुति देने के कारण उसने उस प्रदेश की लोक संस्कृति उसके लोक संगीत को सीखा है। इसका श्रेय अगर

हम युवा समारोहों को दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

References

1. संगीत बोध, शरतचन्द्र श्रीधर परांजपे, पृ- 2,3
2. रीता धनखड़, हरियाणा का लोकसंगीत, पृ- 2
3. निबन्ध संगीत, लक्ष्मीनारायण गर्ग, पृ-109
4. भारतीय संगीत वाद्य, डा० लालमणि मिश्र, पृ-164
5. रीता धनखड़, हरियाणा तथा पंजाब की संगीत परम्परा, पृ-113
6. संगीत पत्रिका-2002